

एलम घाटी

द हिन्दू, हिंदुस्तान टाइम्स, (08 Dec.)

संदर्भ

- खैबर पख्तूनख्बा प्रांत की एलम घाटी (Elum Valley) में पाकिस्तान एक धरोहर उद्यान निर्मित करने की योजना बना रहा है।
- इस घाटी का हिन्दुओं और बौद्धों के लिए बड़ा ऐतिहासिक महत्व है।
- धरोहर उद्यान के माध्यम से पाकिस्तान धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना चाह रहा है।
- इस परियोजना के अंतर्गत एलम घाटी को हिन्दुओं और बौद्धों के लिए सुरक्षित बनाने हेतु तथा वहाँ आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए प्रबन्ध किए जाएँगे।
- इसके लिए समूची एलम घाटी को एक बाड़े से घेर दिया जाएगा और उद्यान के अंदर एक अलग मार्ग का निर्माण किया जाएगा।



महत्व

- एलम घाटी स्वात और बुनेर जिलों के बीच में स्थित है।
- यह घाटी हिन्दु और बौद्ध समुदायों दोनों के लिए तीर्थाटन का स्थल रही है।
- हिन्दुओं का विश्वास है कि भगवान् राम ने अपने 14 वर्षों के वनवास के समय यहाँ तपस्या की थी।
- दूसरी ओर बौद्धों का यह विश्वास है कि भगवान् बुद्ध ने अपने एक पुराने अवतार में इस स्थल में अपने प्राण त्यागे थे।

राष्ट्रमंडल (Commonwealth)

टाइम्स ऑफ इंडिया, (08 Dec.)

संदर्भ

- हाल ही में मालदीव ने राष्ट्रकुल या राष्ट्रमंडल (Commonwealth) में वापस आने के लिए आवेदन दिया है।

पृष्ठभूमि

- दो वर्ष पहले मालदीव के तत्कालीन नेता यामीन ने उस समय मालदीव को राष्ट्रकुल से अलग कर लिया था जब उनके द्वारा विरोधियों पर भयंकर अत्याचार किये जाने पर राष्ट्रकुल ने उन पर दबाव डाला था।



राष्ट्रकुल क्या है?

- पहले ब्रिटिश राष्ट्रकुल (British Commonwealth) के नाम से ज्ञात वर्तमान राष्ट्रकुल उन 53 देशों का संगठन है जो मुख्य रूप से कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे थे।
- इसकी स्थापना 1949 में लंदन घोषणा के द्वारा हुई थी।
- राष्ट्रकुल देश स्वतंत्र एवं समान माने जाते हैं।
- राष्ट्रकुल संघ की प्रतीक चिन्ह ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ-II है जिसे राष्ट्रकुल देशों का मुखिया माना जाता है।
- राष्ट्रकुल के सदस्य देश एक-दूसरे से कानूनी रूप से उत्तरदायी अथवा बंधे हुए नहीं हैं।
- इन देशों को जो तत्त्व जोड़ते हैं, वे हैं - भाषा, इतिहास, संस्कृति, प्रजातंत्र, मानवाधिकार और कानून का शासन।
- राष्ट्रकुल घोषणापत्र में उनकी मान्यताओं को सूचीबद्ध किया गया है।
- राष्ट्रकुल देशों के बीच समरसता बनाए रखने के लिए हर चौथे वर्ष राष्ट्रकुल खेलकूद का आयोजन होता है।
- ब्रिटेन के उपनिवेश रहे सभी देश राष्ट्रकुल के सदस्य नहीं हैं। ऐसे देश हैं - मिस्र, ट्रांसजॉर्डन, इराक, ब्रिटिश फिलिस्तीन, सूडान, ब्रिटिश सोमाली लैंड, ओमान, कुवैत, बहरीन, कतर और संयुक्त

अरब अमीरात।

मानवाधिकार दिवस

फाइनेंसियल एक्सप्रेस, (10 Dec.)

संदर्भ

- हाल ही में विश्वभर में 10 दिसंबर, 2018 को मानवाधिकार दिवस मनाया गया।
- इस दिवस का उद्देश्य मानव अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा मानवाधिकारों के हनन को रोकना है।
- इस वर्ष की थीम 'मानवाधिकार के लिए खड़े हों (Stand Up For Human Rights)' है।
- मानवाधिकारों में मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता शामिल हैं।
- पूरी दुनिया में मानवता के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए इस दिवस की महत्वपूर्ण भूमिका है।
- इस दिवस पर 'दूसरों के अधिकारों के लिए कदम उठाना' विशेष उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया है।



क्या है?

- किसी भी इंसान की जिंदगी, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार ही मानवाधिकार है।
- भारतीय संविधान इस अधिकार की निर्सिफ गारंटी देता है, बल्कि इसे तोड़ने वाले को अदालत सजा देती है।

भारत में मानव अधिकार कानून

- भारत में 28 सितंबर, 1993 से मानव अधिकार कानून अमल में आया। भारत सरकार ने 12 अक्टूबर, 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया।
- आयोग के कार्यक्षेत्र में नागरिक और राजनीतिक के साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी आते हैं।



पृष्ठभूमि

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाये जाने वाले दिन से ही इस दिवस को मनाया जा रहा है।
- पहली बार 48 देशों ने संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के साथ इस दिन को मनाया था।
- वर्ष 1950 में महासभा द्वारा प्रस्ताव 423 (v) पारित करके सभी देशों एवं संस्थाओं को इसे अपनाये जाने के लिए आग्रह किया गया।
- यूएनजीए द्वारा दिसंबर, 1993 में इसे प्रतिवर्ष मनाये जाने के लिए घोषणा की गयी।

अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण

बिजनेस लाइन, इकनोमिक टाइम्स, (10 Dec.)

संदर्भ

- हाल ही में भारत द्वारा अंतरमहाद्विपीय बैलेस्टिक अग्नि-5 का सफल परीक्षण किया गया।
- यह परीक्षण दोपहर एक बजकर तीस मिनट पर किया गया यह इस मिसाइल का सातवां परीक्षण है।
- 5500 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि-5 मिसाइल का यह परीक्षण ओडिशा के समुद्री तट पर किया गया।
- अग्नि-5 की मिसाइल की रेज में चीन, यूरोप और पाकिस्तान आ चुके हैं।
- अग्नि 5 तकनीक के मामले में भी अत्याधुनिक है, क्योंकि इसमें नेवीगेशन, गाइडेंस, वॉरहेड और इंजन की अत्याधुनिक सुविधाएं हैं।



विशेषताएं

- अग्नि-5 की लंबाई 17.5 मीटर है, यह 2 मीटर चौड़ी है, जबकि इसका वजन 50 टन है।
- अग्नि-5 मिसाइल डेढ़ टन विस्फोटक ढोने की ताकत रखती है। इसकी गति ध्वनि की गति से 24 गुना अधिक है।
- इससे पहले अग्नि-5 का सफल परीक्षण 2012, दूसरा 2013, तीसरा 2015, चौथा 2016, पांचवां जनवरी, 2018, छठां जून, 2018 एवं सातवां सफल परीक्षण अब किया गया है।
- अग्नि-5 मिसाइल 3 चरणों में मार करने वाली मिसाइल है।
- इस मिसाइल द्वारा लक्ष्य बिंदु को सटीकता से भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिसाइल उसमें लगे कंप्यूटर से निर्देशित होगा।
- पृथ्वी और धनुष जैसी कम दूरी तक मार करने में सक्षम मिसाइल के अलावा भारत के मिसाइल बेड़े में अग्नि 1, अग्नि-2 और अग्नि-3 मिसाइल भी हैं।



अन्य मुख्य बिंदु

- ऐसा माना जाता है कि भारत द्वारा अग्नि 1, अग्नि-2 और अग्नि-3 मिसाइलों को पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
- अग्नि-4 एवं अग्नि-5 मिसाइल को चीन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
- भारत के अग्नि 5 विकसित करने से यह मिसाइल उत्तरी चीन के लक्ष्य को भेदने में सक्षम बतायी गई है।
- इससे भारत इंटर कंटीनेन्टल बैलेस्टिक मिसाइल रखने वाले सुपर एक्स्प्रेसिव क्लब में शामिल हो चुका है।

चार मेडिकल उपकरण दवा की श्रेणी में

बिजनेस लाइन, (09 Dec.)

संदर्भ

- हाल ही में केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के तहत चार मेडिकल उपकरणों को दवा की श्रेणी में शामिल किया गया है।
- इस अधिसूचना के तहत ब्लड प्रेशर मॉनिटर, नेब्युलाईजर, डिजिटल थर्मोमीटर तथा ग्लूकोमीटर को दवाओं की श्रेणी में रखा गया है।
- मंत्रालय द्वारा इन चारों उपकरणों को ड्रग्स एंड कास्मेटिक

अधिनियम-1940 के तहत दवा की श्रेणी में शामिल किया गया है।

- इस निर्णय से इन उपकरणों की गुणवत्ता और कार्य सुनिश्चित किया जा सकेगा। भारतीय दवा महानियंत्रक जनवरी, 2020 से इन उपकरणों के आयात, विनिर्माण तथा बिक्री को रेगुलेट करेंगे।



प्रमुख तथ्य

- 1 जनवरी, 2020 से इन उपकरणों का निर्माण अथवा आयात करने वाली कम्पनियों को हैं। इन उपकरणों के लिए जरुरी अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- इन सभी उपकरणों को मेडिकल उपकरण नियम, 2017 में बताये गये गुणवत्ता मानकों के तहत पंजीकृत कराना होगा।
- इन चार उपकरणों के साथ अब दवा की श्रेणी में रखी गयी उपकरणों की कुल संख्या बढ़कर 27 हो गयी है।
- अब तक 23 मेडिकल उपकरणों की गुणवत्ता की देख-रेख डीजीसीआई द्वारा की जाती थी।
- अन्य मेडिकल उपकरण गुणवत्ता परीक्षण तथा क्लिनिकल ट्रायल के बिना बेचे जाते हैं।
- इससे पहले ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी ने इन चार उपकरणों को दवा की श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।



भारतीय दवा महानियंत्रक

- केन्द्रीय दवा मानक नियंत्रक संगठन के अंतर्गत भारतीय दवा महानियंत्रक विशिष्ट श्रेणी की दवाओं के लिए लाइसेंस को मंजूरी



प्रदान करता है।


- डीजीसीआई भारत में दवा के उत्पादन, बिक्री, आयात तथा वितरण इत्यादि के लिए मानक तथा गुणवत्ता तय करता है।
- यह भारत में दवा की गुणवत्ता से संबंधित विवाद के लिए अपीलीय प्राधिकरण का कार्य करता है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना

इकनोमिक टाइम्स एक्सप्रेस, (10 Dec.)

संदर्भ

- भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme – NPS) में कई परिवर्तन किये हैं।
- केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन कोष और निवेश के स्वरूप को अब स्वतंत्र रूप से चुन सकेंगे।



क्या हुआ परिवर्तन?

- इस योजना के लिए सरकार का योगदान 10% हुआ करता था। जिसे अब इसे बढ़ाकर 14% कर दिया गया है।
- राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत 2004 से 2012 के बीच योगदान की राशि जमा नहीं होने अथवा देर से जमा होने के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा।
- वर्तमान में कुछ योजनाओं में, जैसे – सामान्य भविष्य निधि, अंशदायी भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि एवं सार्वजनिक भविष्य निधि जैसी योजनाओं के अंतर्गत 1.5 लाख रु. की राशि तक जमा करने पर आयकर अधिनियम के अनुभाग 80 C के तहत आयकर छूट का लाभ मिलता है। अब यही लाभ राष्ट्रीय पेंशन योजना के टियर - 2 के अन्दर सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये गये योगदान पर भी मिलेगी। परन्तु यह राशि तीन वर्षों तक निकाली नहीं जा सकेगी।
- इस योजना में जमा राशि की सम्पूर्ण निकासी आयकर से मुक्त होगी। योजना से निकलने के समय एकमुश्त निकासी के लिए कर की छूट की सीमा बढ़ाकर 60% कर दी गई है।
- राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में किये गये संशोधनों से 36 लाख ग्राहक लाभान्वित होंगे जिनमें 18 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष में इनसे सरकार पर 2,840 करोड़ रु. का खर्च बैठेगा।



क्या है?

- राष्ट्रीय पेंशन योजना सरकार द्वारा प्रायोजित एक पेंशन की योजना है जिसका आरम्भ जनवरी, 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए हुआ था।
- हालांकि, बाद में 2009 में यह योजना सभी वर्गों के लिए खोल दी गई थी।
- इस योजना के तहत ग्राहक अपने कार्यकाल में पेंशन खाते में नियमित रूप से योगदान करते हैं।
- सेवा निवृत्ति के पश्चात् कोई ग्राहक जमा राशि का एक अंश एकमुश्त निकाल सकता है और बची हुई राशि से सेवानिवृत्ति के उपरान्त नियमित आय के लिए एक एन्यूटी (annuity) खरीद सकता है।
- इस योजना का प्रबंधन पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) करता है।

PCSIx नामक तकनीक

टाइम्स ऑफ इंडिया, (10 Dec.)

संदर्भ

- हाल ही में जहाजरानी मंत्रालय के मार्गदर्शन में भारतीय पत्तन संघ ने पत्तन समुदाय प्रणाली "PCSIx" नामक एक तकनीक का अनावरण किया है।

महत्व

- यह मंच भारत के समुद्री व्यापार में क्रांति ला देगा और इसको विश्व में प्रचलित सर्वोकृष्ट प्रथाओं की बराबरी में खड़ा करने में सक्षम है।
- यह व्यवसाय की सुगमता सूचकांक तथा माल-हुलाई प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार लाएगा।



नियंत्रण में होते हैं।

पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र

पायनियर, टाइम्स ऑफ इंडिया, (10 Dec.)

संदर्भ

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह देश के सभी 21 राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों के आस-पास के 10 किमी. क्षेत्र को पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करे।
- न्यायालय ने यह निर्देश तब दिया जब इसके न्यायमित्र ने सूचित किया कि राज्य सरकारों ने इन उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के आस-पास के क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है।



क्या है?

- यह क्लाउड पर आधारित नई पीढ़ी की तकनीक है जिसमें उपभोक्ता के अनुकूल इंटरफेस होता है।
- इस प्रणाली से समुद्री व्यापार से जुड़े सभी हितधारक एक मंच पर सरलता से जुड़ जाते हैं।
- यह मंच बहुत-सी मूल्य-वर्धित सेवाएँ प्रदान करता है, जैसे - अधिसूचना ईजन, कार्य-प्रवाह, मोबाइल एप, जहाजों की स्थिति का पता लगाना, उपभोक्ता के लिए बेहतर इंटरफेस तथा पहले से अच्छी सुरक्षा सुविधाएँ।
- इसमें एक विश्व-स्तरीय आधुनिकतम भुगतान एग्रीगेटर की प्रणाली है जो बैंक-सापेक्ष भुगतान प्रणाली पर निर्भरता को समाप्त कर देता है।
- इस तकनीक में कागज का प्रयोग कम होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से यह एक अच्छी पहल है।
- इस तकनीक का विकास देश में ही किया गया है और यह मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया का एक हिस्सा है।



भारतीय पत्तन संघ

- इसकी स्थापना सोसाइटी निवंधन अधिनियम के तहत 1966 में हुई थी।
- इसका उद्देश्य उन सभी बड़े बन्दरगाहों की वृद्धि एवं विकास का सम्पोषण करना है जो जहाजरानी मंत्रालय के पर्यवेक्षणात्मक

ESZ घोषित करने के मानदंड

- वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने ऐसे जोन घोषित करने के लिए कुछ मापदंड तय किये हैं जो मंत्रालय की एक समिति ने तैयार किये हैं।
- इनके अनुसार ये क्षेत्र पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील घोषित हो सकते हैं-
- जहाँ कोई प्रजाति अधिक हो अथवा अत्यंत कम हो।
- जहाँ पवित्र कुंज और जंगल हों।
- जहाँ अनिवासित द्वीप हों, नदियों का उद्गम हो, आदि।



संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

नोट : 7 दिसंबर को हिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(b), 3(a), 4(b), 5(b) होगा।

